PB-AKG/1N/12.00

Q.NO. 196

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, the agricultural exports are falling. Indian trade surplus in agricultural items fell from US $ 27174.2 in 2013-14 to about US $ 7833.8 in 2016-17. So, my question to the Minister is whether the Government has taken any step to bring out a policy framework for increasing exports of agricultural commodities, especially, when the GST is being applied. And, what is happening in refund of GST to the exporters?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, मैं पहली बार प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वह एक commodity विशेष को लेकर था। ...(व्यवधान)...

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, my question is about agricultural exports.

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : गर्किन नामक एक छोटा खीरा होता है, जिसके export को लेकर उनका प्रश्न था। इस सम्बन्ध में इन्होंने कहा था कि उस गर्किन का उत्पादन कम हुआ है और बरसात अधिक होने के कारण कम हुआ है। हमने इसका उत्तर दिया है कि उसका उत्पादन बरसात की अधिकता के कारण नहीं, अपितु बरसात कम होने के कारण हुआ है।

Q.NO. 196 (CONTD.)

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, I seek your protection. He is not answering my question.

MR. CHAIRMAN: You have supplementary also. ...(Interruptions)... He is asking about exports.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : उस particular commodity के export के बारे में भी इन्होंने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन 2016-17 के reference में 2017-18 में उसका export निश्चित रूप से बढ़ा है। 2016-17 में उसका जो export था, उसके comparison में production और export दोनों बढ़े हैं। सरकार उसके प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से National Horticulture Board के माध्यम से ऐसी फसलों का प्रोत्साहन करती है। इसके अतिरिक्त जो लचीली सहायता योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) है, उसके माध्यम से भी सरकार ऐसी फसलों के export को बढ़ाने के लिए और export oriented crops के लिए सहायता प्रदान करती है।

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, my question has not been answered. So, I seek your protection.

Sir, in the last few years we have seen that Indian agricultural exports are often banned in European Union and other countries. Indian mangoes were banned in EU and Indian rice was banned in Iran. Obviously, the schemes of the Government and the standards that they are implementing

Q.NO. 196 (CONTD.)

are not working. So my question is whether the Government is taking any step to make sure that when the crops are grown, these standards are met and they are not banned in foreign countries.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य का सवाल मुख्य रूप से निर्यात की दृष्टि से है। मेरी जानकारी में मेरे मंत्रालय के द्वारा इसमें जो प्रयत्न होते हैं, मैं उनका एक उदाहरण देना चाहूँगा। मुख्य रूप से निर्यात मंत्रालय इसकी monitoring करता है। जब हम सरकार में आए थे, तो European countries ने mango पर प्रतिबंध लगाया था। फिर हमने वहाँ की सरकार से बात करके उसके कारण पता लगाए और उसके तहत उनकी टीम के वैज्ञानिकों को हमने यह जानने के लिए बुलाया कि quality में क्या कमी है और हमारी जो testing labs हैं, उनमें क्या कमी है। वहाँ की टीम आई और 3 महीने तक अध्ययन करने के बाद उसने जो सुझाव दिया, हमने 3 महीने के अन्दर उसको पूरा किया। 6 महीने लगते-लगते आम का निर्यात फिर चालू हो गया। इसलिए quality की दृष्टि से जब कभी किसी देश के द्वारा प्रतिबंध लगता है, तो हम उससे तुरंत संपर्क करते हैं और अपने मानकों में सुधार करते हैं।

(1ओ/एससीएच पर आगे)

SCH-SKC/1O/12.05

Q.NO. 196 (CONTD.)

श्री पी.एल. पुनिया : सभापति महोदय, Gherkin खीरे की एक प्रजाति है, जिसकी खेती लघु और सीमांत कृषक करते हैं और यह अनुबद्ध कृषि के आधार पर होती है और इसका एक्सपोर्ट होता है। इसमें सिरका और एसिटिक अम्ल डाला जाता है, लेकिन सिरके और एसिटिक अम्ल पर GST 18 परसेंट लगाया गया है। इसकी सबसे ज्यादा खेती कर्णाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में होती है, जिसमें करीब एक लाख से अधिक लघु और सीमांत कृषक लगते हैं, लेकिन सारा मुनाफा बिचौलिये और एक्सपोर्टर्स ले जाते हैं।

महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि कर्णाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के कितने लघु और सीमांत किसान Gherkin खीरे के उत्पादन को सीधे-सीधे एक्सपोर्ट भी करते हैं?

श्री राधा मोहन सिंह : सभापति महोदय, इसकी खेती मुख्य रूप से तीन राज्यों में, संविदा कृषि मॉडल के आधार पर की जाती है। संविदा कृषि मॉडल के आधार पर उसके जो एक्सपोर्ट के मानक हैं, उसके तहत प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए हम मदद करते हैं। इसके लिए राज्य के पास भी एक RKY योजना है, जिसके माध्यम से वह भी मदद करता है, लेकिन इसका उत्पादन संविदा कृषि मॉडल पर मुख्य रूप से इन्हीं तीन राज्यों में होता है। हालांकि अन्य राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन

Q.NO. 196 (CONTD.)

जहां छोटे स्तर पर किसान इसका उत्पादन करते हैं, वह इन तीनों राज्यों में ही होता है, जिसका एक्सपोर्ट होता है।

श्री पी.एल. पुनिया : सर, मेरा सवाल, जो मार्जिनल फार्मर्स इसका एक्सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में था।

श्री सभापति : वे मार्जिनल फार्मर्स के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : एक्सपोर्टर्स संविदा कृषि मॉडल के आधार पर ही खेती करवाते हैं, जिसका वे एक्सपोर्ट करते हैं।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the question has not been answered. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 197. Shri Ananda Bhaskar Rapolu.

(Ends)

Q. No. 197

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, Sir, I appreciate the Minister for his elaborate answer on the preparedness of the Ministry to handle cyber crisis and protect cyber information. He has also mentioned about creation of the Cyber Crime Investigation facilities. We don't have Cyber Crime Investigators in the States and there is no coordination between the Central agencies and those in the State Governments. They are yet to evolve coordination between State Governments and the Central Government in the case of forensic laboratories.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Keeping this factor in view, I would like to put the specific question whether the Central Government's latest App, BHIM, has ever been crashed or hacked and what measures have been taken to handle such crisis within the Government agencies.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, as the hon. Member would have seen, I have given a very elaborate reply. The Government is fully aware of the challenges of cyber security threat. The Prime Minister himself has stated that cyber war is akin to a bloodless war. From cyber drills to cyber

Q.NO. 197 (CONTD.)

training, all these things are there. He asked about cyber forensic training. Sir, I wish to convey to the House that labs have been established in Kerala, Assam, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura and Meghalaya, and 1,250 police officers have been trained in the North East and other parts of India, including judicial officers. With specific in regard to the BHIM App, we don't have any report till now of any kind of a fraud, but we are quite keeping our whole clients intact. In this connection, I would like to convey to the House that it is because of our preparedness that when I see it in terms of RBI feedback given to us, the cases of credit card, ATM and debit card frauds in 2014-15 was 0.000153 per cent, in 2015-16, 0.000164 per cent and in 2016-17, 0.00012 per cent in comparison to the transaction. So, we are taking steps and we would continue to take steps.

(FOLLOWED BY SK/1P)

RPM-SK/1P/12.10

श्री अजय संचेती : सभापति महोदय, मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों से Credit Cards और E-wallets का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके मुकाबले में पुलिस विभाग की ट्रेनिंग बहुत कम पड़ती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की

Q.NO. 197 (CONTD.)

Electronics Ministry की ओर से क्या कोई ऐसी योजना है, जिसके अन्तर्गत specially पुलिस विभाग को भी training impart की जाए, ताकि भविष्य में ये चीजें कम हो सकें?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सभापति जी, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा , भारत सरकार का हमारा गृह विभाग है, उसके अन्तर्गत इस बारे में बहुत ही विस्तारित योजना चल रही है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेशों का विषय है, इसलिए वहां की Cyber पुलिस की पूरी ट्रेनिंग हो, Cyber Laboratory हो और investigation हो, इस बारे में बहुत ही सार्थक प्रयास चल रहा है।

महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने ATM, Credit Cards और Debit Cards की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत कुछ उन देशों में है, जहां डबल चैकअप की व्यवस्था की है कि EMV भी होना चाहिए और PIN नंबर भी होना चाहिए। जब तक दोनों काम नहीं करेंगे, तब तक कार्यवाही नहीं होगी। जुलाई के बाद से इंश्योरेंस की व्यवस्था भी की है।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I will put a very short and pointed question to the hon. Minister. An inter-Ministerial high level committee was formed to look into the cyber crimes and make a report. My question to the hon. Minister is, because Electronics and Information Technology Ministry was also a part of that Committee, whether the Committee has given its report. If it has already given its report, what action has been taken?

Q.NO. 197 (CONTD.)

Secondly, what action has been taken by the Electronics and Information Technology Ministry to prevent child pornography?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, as regards the inter-Ministerial consultation, the Ministry of IT & Electronics, the Ministry of Home, the Financial Services Department and the RBI repeatedly meet, come with the whole ecosystem and structure to take proactive measures. It is a continuous process which we are doing, and wherever we feel the need to fill gap areas, we reinforce that. As regards the child pornography, the hon. Member is very right, Sir. We are working with the Interpol and the CBI to identify those sites which are promoting pornographic materials for children, which is completely condemnable, and a large number of sites have been prohibited by us. I will furnish you the details separately.

(Ends)

Q. No. 198

MR. CHAIRMAN: Q. No. 198, the questioner is absent. Any supplementaries, please?

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें किसानों के कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के और उपाय सुझाए गए हैं। हमारी जो भंडारण सुविधा है, उसके आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। आधुनिकीकरण के बिना, हमारा अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ जो स्टोर किए जाते हैं, उनका बहुत सारा भाग बिखरने में, सड़न में और गलन में खराब हो जाता है। हमने इसमें कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी कहा है। अत : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को अर्जित करने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं और उसके लिए जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, वह सरलता से मिले तथा 100 लाख टन क्षमता के हम जो स्टिल साइलोज़ बनाने वाले हैं, उस क्षमता को हम कब तक अर्जित करेंगे?

श्री सी.आर. चौधरी : ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने बहुत वाजिब चिन्ता जताई है। देश के अंदर अभी 1 जून तक, जब मैक्सिमम प्रक्योरमेंट होता है, उस समय जो क्षमता चाहिए, वह 6 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन हमारे पास अभी भी 726 लाख मीट्रिक टन की क्षमता 30 नवम्बर को उपलब्ध थी। इसलिए जहां तक foodgrains का सवाल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब modernization किया जा रहा है। हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी के कार्य ग्रहण करने के पश्चात् सबसे पहले food और food storages के बारे में चिन्ता की गई। इसी कारण से सबसे पहले

Q.NO. 198 (CONTD.)

साइलोज़ पर विचार किया गया। माननीय शांता कुमार जी की अध्यक्षता में एक हाई लैवल कमेटी गठित की गई थी। And that Committee has recommended that we should go for silos instead of these old stores. इस प्रकार 100 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज बनाने के साइलोज़ का काम चार फेज़ में चल रहा है और ये वर्ष 2022 तक बनाने हैं। अभी तक हमने 11 लाख 75 हजार टन के साइलोज़ बना लिए हैं और 38 लाख 5 टन के साइलोज़ के टेंडर वगैरह हो गए हैं।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, I would like to ask a question specifically about Tamil Nadu. I just want to put this question to the hon. Minister because when there is peak season of harvest, people want to store foodgrains in a very secured place.

(Contd. by YSR/1Q)

PSV-YSR/1Q/12.15

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (CONTD.): Everybody wants to store it at that time because everybody will be having their harvest and the price will not be that much.

MR. CHAIRMAN: Question.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: I would like to know this from the hon. Minister. Can the Food Corporation of India and the Central Warehousing

Q.NO. 198 (CONTD.)

Corporation have their own warehouses, so that our people, especially the people of Tamil Nadu, are able to store their food grain during harvest season? We need storage units in all the District Headquarters. Will it be done?

MR. CHAIRMAN: Simply because he is sitting by your side, don't look at him. Look at me.

श्री सी.आर. चौधरी: आपने तमिलनाडु के बारे में पूछा है। She is worried about the storage capcity of Tamil Nadu. She wants storage capacity of the FCI and the CWC to be enahnced. मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अन्दर टोटल 154 लाख टन का जो storage है, that is done by the FCI. ये hiring basis पर भी लिये जाते हैं। किराये पर जो लिये जा रहे हैं, तो CWC and State Warehousing Agencies के जो हैं, उनको लेते हैं। Private Entrepreneurs Guarantee Scheme के तहत जो बने हुए हैं, we take them for ten years on hiring basis. इस कारण से we have sufficient storage capacity. जहाँ तक storage facility at the time of harvest is concerned, यह निश्चित रूप से है कि उनका अनाज खराब नहीं हो, अनाज को रखने के लिए सुविधा हो। आपके यहाँ पर प्रोक्योरमेंट बहुत कम हो रहा है। तमिलनाडु के अन्दर प्रोक्योरमेंट बिल्कुल कम हो रहा है, चावल का थोड़ा सा हो रहा

Q.NO. 198 (CONTD.)

है, otherwise, there is no procrument. वहाँ पर wheat वगैरह बेचते हैं। We have our central storage capacity there.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: We have the largest production...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI C.R. CHAUDHARY: I agree with you. लेकिन प्रोक्योरमेंट जो होता है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी, अगर उनका कुछ संशय है, तो आप बाद में उनको बुलाकर, आपस में बैठ कर, उसे दूर कीजिए। Shri Ragesh. The question is about Tamil Nadu.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, the question is about warehousing.

MR. CHAIRMAN: Please be specific.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, six months back we had seen tomato farmers going for distress sale. And after two months, when we went to the market, we purchased the same tomato for the price of more than Rs.100 per kg. Sir, why did it happen? Because we are not in a position to provide sufficient storage facilities to the farmers. I want to know from the hon.

Q.NO. 198 (CONTD.)

Minister whether the Food Corporation of India will provide cold storage facilities to the farmers for tomato and other perishable crops.

श्री सभापतिः मंत्री जी, इन्होंने perishable products के बारे में पूछा है।

SHRI C.R. CHAUDHARY: noH. namriahC, riS, tcaf ni, si noitseuq siht ICF eht gnidrager. एफसीआई जो है, वह mainly तीन प्रकार के food grains, चावल, गेहूँ और coarse grains का स्टोरेज करती है। जहाँ तक vegetables and fruits का मामला है, यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक नयी स्कीम बनायी गयी है, जिसके द्वारा कोल्ड स्टोरेज चेन के ऊपर कार्य होता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः ठीक है। Thank you.

(समाप्त)

Q. No. 199

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Sir, through you, I want to know this from the hon. Minister. The PPP model for railway stations has been answered by the hon. Minister. He has given 23 cities where the PPP model is going to take place. I would like to know this from the hon. Minister. Has the Government got any plans to develop medium and small railway stations under the scheme? All the 23 cities which have been given are big cities.

SHRI PIYUSH GOYAL: Mr. Chairman, Sir, 23 stations are only in the initial phase which has already been started and work is progressing. We have already re-categorised all the stations in the country based on three criteria. Earlier it was only revenue. Now it is revenue, passenger footfall and strategic importance. Based on this re-classification, we have identified many more stations. Currently, we are examining about 400 stations in the country, 41 of which are in Maharashtra itself where station redevelopment work will go on.

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Sir, I come from a place called Kolhapur which has the oldest station in India. It is almost 125 years old. Can Kolhapur be included in the next PPP model? This is what I would like to know from the hon. Minister.

Q.NO. 199 (CONTD.)

SHRI PIYUSH GOYAL: I am happy to inform the hon. Member, through you, Sir, that Kolhapur is already included in the 400 stations that we have started examining.

(Followed by VKK/1R)

-YSR/VKK-VNK/1R/12.20

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it appears from the list attached to the reply that out of 23 stations identified to be taken for bidding regarding redevelopment of railway stations under PPP mode, Howrah station is included. Howrah was opened in 1854 and electrified in 1954. It is one of the busiest stations and it has the highest train landing capacity in the country. My pointed question to the hon. Minister is: Before deciding on this, did any consultation with the State Government take place seeking its suggestions, if any?

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Chairman, the State Governments, at different levels, had been talking to the Zonal Railways to see which stations are of strategic importance. Many hon. Members of Parliament have also given us ideas about passenger footfall in stations in their constituencies which are of importance. I will examine the Howrah station's entire story, whether it

Q.NO. 199 (CONTD.)

justifies, and what level of investment is justified. But, State Governments are happy to give us support. For example, we have a scheme where if the State Government gives extra FSI under TOD Policy – Transit Oriented Development Policy – then we can certainly look at more development in the States.

श्री रेवती रमन सिंह : माननीय चेयरमैन साहब, रेल देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसमें देश के लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन आपने अभी रेलवे में जो तमाम काम प्राइवेट सेक्टर को दिया है, उसका बहुत सुखद अनुभव नहीं रहा है। मान्यवर, इन्होंने सफाई का कार्य प्राइवेट सेक्टर को दिया है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ।

श्री सभापति : रेवती रमन सिंह जी, समय सीमित है, इसलिए कृपया आप अपना सवाल पूछिए।

श्री रेवती रमन सिंह : सर, मैं स्पेसिफिक सवाल ही पूछ रहा हूँ। वे लोग चार दिन पहले इलाहाबाद से फर्स्ट एसी में आ रहे थे और इलाहाबाद से जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, वह बाथरूम में गया, तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ कि चूंकि रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसलिए इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेवारी तो फिक्स होती है, लेकिन जो काम आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, वे अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

Q.NO. 199 (CONTD.)

श्री पीयूष गोयल : सर, प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम करते हैं, उनको नौकरी मिलती है और जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उस पर कार्रवाई करना सुविधाजनक होता है। उस पर जिम्मेवारी ठहरा कर, we can really monitor the work, उसको उस काम के लिए accountable ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक सूचना दी, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी जो-जो खबरें आपके पास आती हैं, अगर वह डिपार्टमेंट तक पहुंच सके, जिसके लिए मोबाइल ऐप है, मिस्ड कॉल है, अलग-अलग साधन हैं, आप इसके लिए चिट्ठी भेज सकते हैं, तो उस पर हम कार्रवाई भी कर सकते हैं और उससे हमारे काम में भी सुविधा होगी।

श्रीमती रजनी पाटिल : सर, माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे कि मुम्बई में हाल ही में Elphinstone Bridge की जो घटना हुई थी, उसमें काफी लोग मर गए थे। जहां पर मांग नहीं है, जहां पर ब्रिटिशों के ज़माने के रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर बहुत खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या वहां suo-motu रेल मंत्रालय ने कुछ डेवलपमेंट का प्रयास किया है या ऐसा करने के लिए तय किया है?

श्री पीयूष गोयल : सर, मैं आपके माध्यम से रजनी बहन को बताना चाहूंगा कि Elphinstone Bridge की घटना रेलवे की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज कोई टूटा नहीं, बल्कि वह वहां का वहां है। दुर्भाग्य से बारिश आई और चार

Q.NO. 199 (CONTD.)

गाड़ियां एक साथ आईं, साथ ही साथ किसी व्यक्ति के सिर पर फूल का जो बोझ था, वह अचानक गिरा और उसने मराठी में कहा, माझे फूल पडले और मराठी में फूल का मतलब flower और पुल का मतलब ब्रिज होता है, उसके कारण बड़ी दुखद दुर्घटना हुई।...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : सर...(व्यवधान)...

श्री सभापति : क्वेश्चन ऑवर में प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

श्री पीयूष गोयल : सर, उसी को देखते हुए हमने सभी स्टेशन्स को reclassify किया, जो मैंने पहले बताया और अब पैसेंजर फुटफॉल को भी अहम भूमिका देते हुए पैसेंजर फुटफॉल के हिसाब से, Elphinstone road में स्वाभाविक है कि उसमें पैसेंजर फुटफॉल बहुत ज्यादा है, उसमें तेज गति से काम हो, उसके लिए नया फुट ओवर ब्रिज बने, इसके लिए एक आर्मी को दिया है और एक प्राइवेट कांट्रेक्ट दिया है। इसके साथ ही साथ पूरे स्टेशन के दुरुस्तीकरण की भी योजना तैयार की जा रही है।

(समाप्त)

(1एस/एनकेआर-आरएल पर आगे)

-BHS/RL-NKR/12.25/1S

Q. No. 200

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने MSP के संबंध में बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट दी है। मैं मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी ने चुनावों से पहले कहा था कि देश में किसान को production cost से 50 परसेंट अधिक समर्थन मूल्य दिया जाएगा, क्या उतना समर्थन मूल्य आज किसान को मिल रहा है ? यदि किसान को उतना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है तो कौन-कौन सी जिन्स के समर्थन मूल्य 50 परसेंट बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो लम्बी लिस्ट दी है, अगर वह सही है तो आज किसान क्यों आत्महत्या करते, मैं यही जानना चाहती हूं।

श्री राधा मोहन सिंह : मैंने जो स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा है, उसमें बहुत लम्बी लिस्ट दी है। उसमें बहुत स्पष्ट कहा है कि 2017-18 के लिए निर्धारित एम.एस.पी. में ए2+एफएल लागत पर लाभ 50 परसेंट से अधिक था - जो गेहूं के लिए 112.4 परसेंट, रेपसीड/सरसों पर 88 परसेंट, मसूर पर 79.6 परसेंट, चने पर 78.8 परसेंट, जौ पर 66.0 परसेंट, उड़द पर 64.3 परसेंट और बाजरे पर 50.2 परसेंट था। इसके अलावा मैंने एक Annexure भी दिया है, जिसमें बताया है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कितना एम.एस.पी. बढ़ा, वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में कितना एम.एस.पी. बढ़ा और वर्ष 2017-18 में क्या एम.एस.पी. रहा। ..(व्यवधान)..

Q.NO. 200 (CONTD.)

श्रीमती विप्लव ठाकुर : माननीय कृषि मंत्री जी ने परसेंटेज़ तो बताया, क्या इन्होंने किसान की फसल पर जितनी लागत आती है, उसका भी कोई ब्यौरा लिया या नहीं कि कितना कैश उन्हें मिल रहा है। इसमें परसेंटेज़ की बात नहीं है, क्योंकि किसानों को आज एम.एस.पी. के नाम पर कुछ मिल ही नहीं रहा है। आज हमारा किसान आढ़तियों के पास जाने को मजबूर है। उन्हें वहां harass किया जाता है। यदि सरकार ने किसानों के लिए इतनी स्कीमें बनाई हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि grass-root पर आज किसानों को क्या रेट मिल रहा है?

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय सदस्य ने ठीक ही पूछा है कि आज किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। किसान को एम.एस.पी. कैसे मिले, यह प्रश्न बहुत ही सामयिक है। धान और गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर Food & Civil Supplies Ministry द्वारा होती है। हम सब इससे सहमत होंगे कि जो कई जिंस का समर्थन मूल्य है, मेरा ज्यादा अनुभव दिल्ली से कोलकाता तक और दोनों के दायें-बायें 100 किलोमीटर तक है, वहां कहीं भी आज की तारीख में धान का समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है। राज्यों में इसकी खरीद की जो प्रक्रिया है, Food & Civil Supplies Ministry उसकी monitoring कर रही है। इस देश में बहुत पहले से एक योजना चल रही है जिसके अंतर्गत धान और गेहूं के अलावा दलहन-तिलहन और कपास के समर्थन मूल्य भी दिए जाते हैं। जब भी समर्थन मूल्य से दाम नीचे आते हैं, तो PSS Scheme यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ..(व्यवधान)..

Q.NO. 200 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...(Interruptions)... No commentary while sitting. ...(Interruptions)...

SHRI RADHA MOHAN SINGH: Sir, Price Support Scheme (PSS) के तहत ज्यों ही दलहन-तिलहन और कपास का समर्थन मूल्य नीचे आता है, सरकार उसकी खरीद करती है।..(व्यवधान).. उसकी एक व्यवस्था है।

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

श्री राधा मोहन सिंह : इसके कारण, ..(व्यवधान).. माननीय सदस्य ने सदन में जो सवाल पूछा है,..(व्यवधान).. हम सबको सुनना चाहिए ताकि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं।..(व्यवधान)..

श्री सभापति : धन्यवाद, मंत्री जी। ..(व्यवधान)..

श्री राधा मोहन सिंह : जब राज्य से हमारे पास प्रस्ताव आता है, भारत सरकार इन जिंसों की खरीद के लिए पूरी राशि देती है। ..(व्यवधान).. यह हमारी योजना है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दलहन-तिलहन और कपास की वर्ष 2011 से 2014 तक 8,40,000 मीट्रिक टन की खरीदारी की गई।..(व्यवधान).. मैं समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूं।..(व्यवधान).. जब भी राज्य से प्रस्ताव आता है, ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: No please. ठीक है। ...(Interruptions).. No argument. ...(Interruptions)... Next is Shri Veer Singh.

Q.NO. 200 (CONTD.)

श्री वीर सिंहः सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में जौ, गन्ना और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आपने वादा किया था कि हम किसान को उसकी उपज लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देंगे। आज आप धान का समर्थन मूल्य लगभग 1500 या 1600 रुपए दे रहे हैं, जबकि किसान की लागत लगभग 2,000 रुपए आती है।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए। ..(व्यवधान)..

(1T/MCM पर आगे)

DC-MCM/1T/12.30

श्री वीर सिंह : तो आपको तीन हजार देना चाहिए। क्या आप लागत के हिसाब से समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, यह मैं आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री राधा मोहन सिंह : जहां तक लागत मूल्य का सवाल है, CACP 15 राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागत के आंकड़े इकट्ठे करती है, फिर राज्य सरकार से और फिर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से बात करके लाभकारी मूल्य निश्चित करता है और उसके बाद कृषि मंत्रालय और केबिनेट भी जो सिफारिश करता है लाभकारी मूल्य का, उसको भी हम बढ़ाते हैं और बोनस भी देते हैं। धान के मूल्य में भी वृद्धि हुई है और दलहन, तिलहन में भी काफी बोनस देने का काम भारत सरकार ने किया है।

श्री महेश पोद्दार : महोदय, किसानों को दीर्घकालीन सहायता के तहत किसानों की आमदनी दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस सरकार का है और इस दिशा में

Q.NO. 200 (CONTD.)

मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से अनाज लिया जाता है, विशेषकर धान के केस में क्या मंत्री जी अवगत हैं कि भंडारण के कारण प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य अनेक राज्यों में पूरा नहीं होता है? तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और कब तक उठाएगी?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, जहां तक धान खरीद का सवाल है, यह Food and Civil Supplies Ministry राज्यों के माध्यम से खरीदती है। वह खरीदारी मेरे मंत्रालय के माध्यम से नहीं होती। धान और गेहूं की खरीदारी एफ0सी0आई0 और Food and Civil Supplies Ministry के माध्यम से होती है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this question arises in every Session of Rajya Sabha, and last time, when this came up, I had raised a supplementary, and I would like the hon. Minister to respond to that. When I had said that the crux of the MSP is how you fix the cost of production and the hon. Minister replied that a Committee has been constituted to review alternative methods of fixing cost of production and he would soon come back to the House with the decision of the Government. I want to ask the hon. Minister: Has the Committee submitted its report? If it has submitted its report, has the Government considered the recommendations and what is the new system for fixing the cost of production?

Q.NO. 200 (CONTD.)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, यह जो लागत मूल्य तय करने का काम CACP करती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि समर्थन मूल्य पर जो खरीदारी होती है, जैसे अभी धान के विषय में सवाल आया या बाकी भी ऐसे 22 उत्पाद हैं, जिनका समर्थन मूल्य तय है, यह ठीक से खरीदा जाए और राज्यों के माध्यम से भी हम खरीदते हैं। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को हमने कुछ सुझाव दिए हैं। राज्य सरकारों से....(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

श्री जयराम रमेश : यह बताया जाए कि जो समिति का गठन किया गया था, क्या उस समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है?

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, मैं फिर बतला रहा हूं कि CACP की, जो मूल्य लागत आयोग है, वह दाम तय करती है। हमने राज्य सरकारों से बात की, जिस कमेटी की हमने बात की कि कमेटी बनाई और राज्यों को पत्र दिया है कि कैसे यह व्यवस्था हो जिसका समर्थन मूल्य है, सब की खरीदारी हो सके। इस संबंध में राज्यों के साथ भी हमारी बात चल रही है, नीति आयोग के साथ बात चल रही है और दो दिनों की कार्यशाला, देश के तमाम कृषि अधिकारियों और जो बाकी stakeholders हैं, उनके साथ बैठकर हम करने वाले हैं।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 201

श्री बसावाराज पाटिल : माननीय सभापति जी, सरकार ने इस साल 2017-18 के लिए लगभग 1 लाख 36 हजार 901 करोड़ रुपए माल खरीद तथा वितरण व्यवस्था में खर्च किया है। सरकार लगभग कितना माल हर साल खरीदती है और खरीदा हुआ जो माल है, वह वितरण प्रणाली में कितना जाता है और ओपन मार्केट में कितना जाता है, कृपया यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

(1U/SC पर आगे)

SC-KR/12.35/1U

श्री सी.आर.चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, मैं आपके मार्फत बताना चाहूंगा कि जो rice का हमारा सालाना प्रोडक्शन है, that is around 1,000 lakh metric tones. जो प्रोडक्शन है, उसका करीब-करीब one-third हम procure करते हैं। इसके सालाना figures दिए जा चुके हैं, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। उसका one-third के करीब हम procure करते हैं। इसमें से rice का अधिकतर भाग public distribution के मार्फत जाता है। सारे देश के अंदर सालाना 500 लाख टन के करीब public distribution से गेहूं और चावल जा रहा है। सर, गेहूं का on an average 975-980 लाख टन के करीब हमारा प्रोडक्शन है और इसका भी one-third procure होता है। अभी last year, 2016-17 के अंदर हमने 308 लाख टन गेहूं procure किया था। Open market में गेहूं ज्यादा जाता है, सालाना open market में

Q.NO. 201 (CONTD.)

55 से 60 लाख टन के करीब गेहूं Open Market Sale Scheme, OMSS के ज़रिए जाता है।

श्री बसावाराज पाटिल : सर, यह जो माल सरकारी वितरण प्रणाली में जाता है, उसके लिए सरकार को कितना पैसा देना पड़ता है?

श्री सी.आर चौधरी : मान्यवर, आपने प्रश्न ही यही पूछा था कि हमारी actual purchase cost और वितरण की cost क्या है। हमारा जो acquisition है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें MSP plus incidental charges होते हैं। जो मार्किट में economic price है, उसमें storing capacity and transportation charges और लगा देते हैं, that is our economic price. Sale price जो है - National Food Security Act 2013 के अंदर लाया गया था, तब जो कीमत रखी गयी थी, that was only for 3 years, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया price रखा गया था, तीन रुपए किलो चावल, दो रुपए किलो गेहूं और एक रुपए किलो मोटा अनाज - मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तीन साल के बाद लगातार सेम रेट रहा, किसी प्रकार से prices में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जहां तक अंतर का प्रश्न है, इसमें कोई हानि नहीं है। आपने प्रश्न में इस बारे में पूछा है। That is a subsidy. We should call it as a subsidy. भारत सरकार हर साल सब्सिडी देती है। इस साल 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी रिलीज़ की गयी है। यह दो प्रकार से दी जाती है। इसमें

Q.NO. 201 (CONTD.)

decentralized procurement States करती हैं और FCI centralized procurement करता है।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 202

MR. CHAIRMAN: Q. No. 202, Shri R. Vaithilingam, absent. Any supplementary. Shri Harivanshji.

श्री आनंद भास्कर रापोलू : सर..(व्यवधान)..

श्री सभापति : देखिए, अगर एक ही सदस्य को दो-तीन प्रश्नों में मैं सप्लीमेंटरी सवाल पूछने का मौका दूंगा तो बाकी सदस्यों का क्या होगा? कृपया इस बात का ध्यान रखिए।

श्री हरिवंश : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि future में environment की दृष्टि से कोयले की जगह एनर्जी के रूप में नयी चीज़ों के प्रयोग की बात हो रही है। उस संदर्भ में क्या आपकी कोई योजना है?

श्री पीयूष गोयल : सर, जलवायु में लगातार कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उसके ऊपर देश और विदेश में सबको बहुत चिंता है, लेकिन देश में सस्ता बिजली उत्पादन होता रहे, उसके लिए कोयले की जरूरत है और आगे भी रहेगी। इसके साथ ही साथ सरकार यह कोशिश कर रही है कि कोयले के इस्तेमाल को हम gasification में कैसे यूज़ करें, methane बनाने में कैसे यूज़ करें। Coal to gas कन्वर्ट करने में कोयले का भी इस्तेमाल हो जाएगा और जो गैस हमें विदेश से लानी पड़ती है, उस पर खर्च होने वाला foreign exchange भी बचेगा तथा साथ ही साथ एक clean source of energy बनेगा। विश्व में आज climate change और terrorism, इन दो बड़ी समस्याओं की चर्चा बार-बार होती है। माननीय प्रधान मंत्री की लगातार यह चिंता रहती है कि climate change में कैसे कोयले का इस्तेमाल करने के साथ-साथ हम environment के concern को भी

Q.NO. 202 (CONTD.)

पूरी तरह से ध्यान में रखें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूंगा कि कोयला इस्तेमाल करते समय जो कार्बन निकलता है, उसको capture करके किसी alternate यूज़ में डाला जाए, उसके लिए भी सरकार ने रिसर्च पर काफी बल दिया है। जब उस समस्या का हल निकल आएगा, carbon capture and utilization, मैं समझता हूं कि तब जलवायु परिवर्तन पर इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा।

(1डब्ल्यू-जीएस पर आगे)

GS-KS/1W/12.40

श्रीमती छाया वर्माः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कोल इंडिया या उससे संबंधित कंपनियों में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु कोई स्कीम है? क्या कोल ट्रांसपोर्टिंग में काम ठेके पर दिए जाते हैं?

श्री पीयूष गोयल : सभापति महोदय, हां, एक स्कीम कोल इंडिया की है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के काम में जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको priority दी जाती है। उस स्कीम के तहत कई इलाकों में भूतपूर्व सैनिकों ने छोटे कोआपरेटिव्ज़ बनाये हैं, कुछ लोगों ने मिलकर ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया है।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 203

श्री राम कुमार कश्यप : सर, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर बहुत ही संतोषजनक दिया है, इसलिए मैं पहला सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मंत्री जी, जैसा कि आपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि आज तक उच्चतम न्यायालय में 55,459, उच्च न्यायालयों में 34.27 लाख और देश के विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2.61 करोड़ मामले लंबित हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए सरकार द्वारा कई कार्य नीतियां बनाई गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन लंबित मामलों के निपटारे के लिए जो कार्य नीतियां आपके द्वारा बनायी गयी हैं, उनके कारण पिछले तीन सालों में कितने मामले निपटाये गये हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि नीतियां बना सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में मामलों का निष्पादन माननीय न्यायमूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। वर्ष 1993-94 से लगभग छह हजार करोड़ रुपये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में दिए गए और पिछले तीन साल में 2000 करोड़ से अधिक हमारी सरकार के दौरान दिए गए हैं। उनके लिए फ्लैट बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, कोर्ट हॉल बन रहे हैं। हमारी ओर से अधिक प्रयास यह हो रहा है कि 10 साल से पुराने मामले प्राथमिकता में निपटाये जायें। लोअर कोर्ट के बारे में, मैं आपको कह सकता हूं कि अभी जो आपको 2.61 करोड़ की संख्या सदन के अंदर दी गयी है, यह पहले जून में 2.80 करोड़ थी और अब यह घटकर 2.61 करोड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामलों की संख्या कम हुई है।

Q.NO. 203 (CONTD.)

हमेशा इस देश में एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोर्ट में लोग केस फाइल भी करते हैं, तो कई जगह निष्पादन और नये केसों का अंकीकरण दोनों साथ-साथ चलता है, तो हमारा देश अब अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो रहा है। यह एक सतत लड़ाई है।

माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने और प्रधान मंत्री जी ने आग्रह किया था कि क्या न्यायमूर्तिगण शनिवार के दिन कोर्ट कर सकते हैं, छुट्टियों में कोर्ट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश में आज न्यायमूर्तिगण बैठ रहे हैं और मामलों को निपटा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि हम इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ायें।

श्री सभापतिः मंत्री जी, मेरे गांव में एक कहावत है। छोटा सा काम हो गया, उसको अल्प संतोषी कहते हैं। दो करोड़ से ज्यादा केसेज़ पेंडिंग हैं। अच्छा है...(व्यवधान)... आपने कहा...(व्यवधान)... यह सरकार, वह सरकार, लेकिन आप इसको पेलिटिकल मत करिए। बहुत दिन से केसेज़ पेंडिंग हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और सुप्रीम कोर्ट भी, जो main मामला है, जो issues pending हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दे और नये विषयों के बारे में बाद में सोचे, तो अच्छा होगा।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलेरी बढ़ाने का बिल लोक

Q.NO. 203 (CONTD.)

सभा से पास करा लिया है। यह अच्छी बात है कि आप उनकी ढाई गुना सैलेरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे लोग तो अभी सोच रहे हैं कि वे शनिवार को कोर्ट में बैठें या न बैठें। जो लोअर कोट्र्स हैं, जहां पर दो करोड़ 17 लाख केसेज़ पेंडिंग हैं, जैसा कि अभी आपने अपने जवाब में भी कहा है, वे तो शुरू से ही शनिवार को कोर्ट चलाते हैं और वे शाम को 6.00 बजे या 7.00 बजे से पहले कभी कोर्ट छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा केस लदे होते हैं, जिनके कारण वे निकल नहीं पाते हैं। आप उनकी फैसेलिटीज़ को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कोर्ट रूम्स को बढ़ा रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप पहले उनकी सैलेरी, उनकी अलाउंसेज़, उनकी फैसेलिटीज़ बढ़ाइए। आप थोड़ा लोअर कोट्र्स के न्यायाधीशों के बारे में ध्यान देंगे, तो हमारे ख्याल से Sunday को भी काम करने लगेंगे। अभी तो वे शनिवार को भी काम कर रहे हैं। ऐसा करने से केसों का डिस्पोज़ल और अच्छा हो सकता है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, माननीय सतीश मिश्रा जी सिर्फ एक अनुभवी सांसद ही नहीं, बल्कि बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ वकील भी हैं। आपको मालूम है कि जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों के वेतन के पुनरीक्षण का सवाल है, उसके लिए कानून है, The Supreme Court (Salaries and Conditions of Service) Act and The High Court (Salaries and Conditions of Service) Act. लेकिन जो subordinate judiciary है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में एक जज का कमीशन बनता है। वह उनकी पूरी सैलेरी के

Q.NO. 203 (CONTD.)

पुनरीक्षण पर विचार करता है। जस्टिस रेड्डी का कमीशन बन गया है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। उसे हम पूरा सहयोग करेंगे। (HMS/1X पर जारी)

KS-HMS/1X/12.45

श्री रवि शंकर प्रसाद (क्रमागत) : आप की बात बहुत सही है कि जिला न्यायालयों के न्यायमूर्तियों का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। इस के लिए हमारी पूरी कोशिश है और आपने देखा होगा कि हमने 16,000 कोर्ट्स से अधिक को "ई कोर्ट्स" किया है और National Commission Data Grid बनाया है। सर, मैं दो स्कीम्स के बारे जरूर कहना चाहूंगा। Tele-Law के अंतर्गत Common Service Centres के माध्यम से हम गांव के गरीबों को pre litigation advice दे रहे हैं। बिहार, यू0पी0 कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में यह शुरू किया है। ..(व्यवधान)..

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : आप यह बताइए कि क्या उनकी salary और allowances के बारे में विचार कर रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैंने अभी विस्तार से बताया कि रेड्डी कमीशन बन गया है, वह काम कर रहा है। मेरे ख्याल से माननीय मिश्रा जी इस बात को मानेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में उसके लिए एक mechanism बनाया है, तो सरकार अपने से अलग mechanism नहीं बना सकती। हम उसके तहत कार्यवाही कर रहे हैं।

SHRI RIPUN BORA: Sir, though there are more than two-crore cases pending in the lower courts as well as in the High Courts and Supreme

Q.NO. 203 (CONTD.)

Court, apart from the reasons of shortage of Judges and infrastructure, the other reason is slow disposal of cases. I would like to ask the hon. Minister if the Government could put in place a mechanism for the speedy disposal of cases. There are many small cases that are pending in courts for years. We should have cases heard regularly and frequently in *Lok Adalats* in the rural areas so that these cases could be disposed of.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, the hon. Member is absolutely right. We are promoting alternative dispute resolution mechanism in a very effective manner. In the last three years, crores of cases have been disposed of by the *Lok Adalats*. We hold them frequently. We propose to do that in consultation with the High Court. We are taking other significant steps to dispose of traffic-related cases on a fast-track basis through alternative methods. We are working it out. All this would happen and cases pending in the lower and district courts would come down.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय कानून मंत्री जी, देश में इस समय करीब 2 करोड़ मुकदमे pending हैं और हम जानते हैं कि lower courts में भी हमारे पास जजेज़ की बहुत कमी है, हाई कोट्र्स और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेज़ की कमी है।

Q.NO. 203 (CONTD.)

मंत्री जी, आपको इस बात की सूचना है कि पी0आई0एल0 और मुकदमों की तारीख - ये दो बहुत बड़ी वजह हैं क्योंकि जजों के ऊपर कोई restriction नहीं है कि वे किस मुकदमे में कितनी तारीख देते हैं। महोदय, पी0आई0एल0 सुनने में इतना समय लग जाता है कि बाकी मुकदमों के निपटारे के लिए समय ही नहीं बचता। आप इन दोनों provisions को कैसे routine में लाएंगे और क्या पी0आई0एल0 ban करने का आपका कोई इरादा है?

श्री सभापति : नहीं, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय नरेश अग्रवाल जी एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्हें यह अनुभव होगा कि हम न्यायालय की स्वायत्तता और आज़ादी का पूरा सम्मान करते हैं। यह न्यायालय का विषय है कि कौन केस कैसे फाइल होगा, लेकिन हम आपकी चिंता को समझते हैं और कानून मंत्री के दायित्व के रूप में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जन हित याचिका मूल रूप से गरीबों व मजदूरों के अधिकार के लिए लायी गयी थी। अगर public interest litigation को governanace को monitoring करने के विकल्प के रूप में देखा जाता है, पॉलिसी के रूप में देखा जाता है, तो इस के बारे में चर्चा हो सकती है। मैंने उस सदन में भी बताया और यहां भी कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कहा था कि शासन वही चलाए, जिन को जनता शासन चलाने के लिए चुनती है और वे accountable हों और कानून वही बनाए, जिन्हें देश की

Q.NO. 203 (CONTD.)

जनता कानून बनाने के लिए चुनती है और वे सदन के प्रति accountable होते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि governance और accountability साथ-साथ चलती है।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 204

श्रीमती झरना दास बैद्य : सर, माननीय रेल मंत्री जी ने मेरे question का जवाब दिया है और उन्होंने बताया है कि रेलवे सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन उनकी आर0पी0एफ0 की क्या जिम्मेदारी है? मैं रेलवे में सफर करती हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मंत्री जी सफर करते हैं या नहीं?

(1 वाय/एएससी पर जारी)

ASC-RSS/12.50/1Y

श्रीमती झरना दास बैद्य (क्रमागत) : वहां पर ज्यादा पुलिस तो होती नहीं है। दो पुलिस के आदमी होते हैं और वे कहीं जाकर सो जाते हैं। सुरक्षा के लिए ज्यादा पुलिस नहीं होती है और कॉक्रोच और चूहे ज्यादा होते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्रीमती झरना दास बैद्यः वे सुरक्षा के लिए छोड़ दिए हैं।

श्री पीयूष गोयल : सभापति महोदय, यह विषय इस हाउस में पहले भी आ चुका है, मुझे लगा था कि शायद खत्म हो गया है, लेकिन शायद माननीय सांसद तब सदन में नहीं थीं। मैं बचपन से ट्रेन में सफर करता आ रहा हूं। मैं आज भी ट्रेन में सफर करता हूं और अलग-अलग कारणों से ट्रेन में जाता हूं। मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से आठ साल सोमवार से शनिवार तक सेन्ट्रल रेलवे और वेर्स्टन रेलवे, दोनों में ट्रैवल करता था।.....(व्यवधान)....

श्री नरेश अग्रवाल : टिकट लेकर ...(व्यवधान)..

Q.NO. 204 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: No comments, please.

श्री पीयूष गोयल : मैं तब first class season pass लेता था। ...(व्यवधान).... मुझे यह कहने में कोई शर्मिन्दगी नहीं है। ...(व्यवधान).. एक बात तो तय है कि मुझे ट्रेन की सब जानकारी है और आज भी मिलती रहती है। हो सके तो मैं सभी माननीय सांसदों को इन्वाइट करूंगा, वे मेरे साथ ट्रेन में सफर करें और मुझे इस बात से अवगत कराएं कि इसमें और क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है। ...(व्यवधान).... जहां तक GRP और RPF का सवाल है और जो रेल सुरक्षा और पैसेन्जर्स की सुरक्षा की prime responsibility है और जो GRP के अधिकारी हैं, crime prevention, detection and investigation वह स्टेट की GRP करती है। हमारे पास इसके अधिकार नहीं हैं कि हम RPF के पास जाकर crime दर्ज करा सकें और उसको investigate कर सकें और end तक लेकर जाकर, उनको दोषी ठहराएं व सज़ा दिलवाएं।

इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि RPF लगतार GRP के साथ मिलकर काम में लगी रहती है। यह prima facie स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद GRP उनको सपोर्ट करती है कि किस प्रकार से ticketless travel को रोकना है और अगर कहीं कोई चोरी होती है, तो GRP को सहयोग करके लोगों को पकड़ना होता है, तो हम पकड़ने में हर प्रकार की मदद कर सकते हैं। केस रजिस्टर करना और एक्शन लेना, यह सिर्फ स्टेट के पास है। हमारे पास इसका कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापतिः सेकन्ड सप्लीमेंटरी प्लीज़। कृपया समय को ध्यान में रखिए।

Q.NO. 204 (CONTD.)

श्रीमती झरना दास बैद्यः सर, मेरा पूरा सामान भी रास्ते में चोरी हो गया। मैं कहना चाहती हूं कि एक एम.पी. का सामान भी first class में चोरी हो जाता है। मैंने इसकी FIR भी दर्ज करवाई थी और टी.टी.ई. ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आज तक भी वह समान नहीं मिला है। मुझे कोलकाता जाकर सारा नया सामान खरीदना पड़ा।

MR. CHAIRMAN: Please put a specific question.

श्रीमती झरना दास बैद्य : इसके बाद ही मैं त्रिपुरा गई। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनका कोई भी सामान चोरी हो जाता है, लेकिन बाद में मिलता नहीं है। आप सामान की चोरी से सुरक्षा के बारे क्या कर रहे हैं?

श्री पीयूष गोयल : माननीय सांसद जिस त्रिपुरा राज्य से आती हैं, तो आपने यहां पश्चिमी बंगाल की बात भी की है, तो आपको कोलकाता में तकलीफ हुई, तो शायद यह दर्शाता है कि वहां पर कानून-व्यवस्था कैसी है, तो इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)... चाहे वह राज्य में ही है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः आप इसको सामान्य लीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री पीयूष गोयल : जहां तक माननीय सदस्य के सामान चोरी होने का सवाल है, तो मैं उसको एक बार जरूर दिखवाऊंगा ....(व्यवधान).... जहां पर आपने पश्चिमी बंगाल में इस केस को रजिस्टर किया है....(व्यवधान).... मैं उस राज्य सरकार से कहूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए तथा दोषी को पकड़ा जाए। .... (व्यवधान).... जहां तक यह सवाल है कि एक व्यक्ति का सामान चोरी हुआ है ....(व्यवधान)...

Q.NO. 204 (CONTD.)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, the hon. Minister is misleading... (Interruptions)....

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़, आप बैठिए। ....(व्यवधान)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: That is wrong... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Mr. T.K. Rangarajan, please sit down. (Interruptions)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)....

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: The Minister is misleading the House... (Interruptions)... The hon. Member is saying that her belongings were stolen in Delhi. But, the hon. Minister is saying, in Kolkata... (Interruptions)...

श्री पीयूष गोयल : हमने इस सरकार में VIP कल्चर को समाप्त कर दिया है। ...(व्यवधान).... हमारे लिए सभी इम्पॉर्टेन्ट हैं ...(व्यवधान).... चाहे सामान्य नागरिक हो या सांसद हो। ...(व्यवधान).... हम सबके साथ एक जैसी कार्रवाई करते हैं। ...(व्यवधान)....

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Why is he saying so?...(Interruptions)... Why?

MR. CHAIRMAN: Anything happening anywhere, it has to be taken seriously. आप बैठिए। ....(व्यवधान)... श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम। ....(व्यवधान)...

Q.NO. 204 (CONTD.)

झरना दास बैद्य जी, आप बैठ जाइए। आप दूसरी महिला को भी सवाल पूछने का मौका दीजिए। ....(व्यवधान).....No, it will not go on record. ...(Interruptions)...

(1Z/LP पर आगे)

KGG-LP/1Z/12.55

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं ..(व्यवधान)..

श्रीमती झरना दास बैद्य : सभापति जी..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Now it will not go on record, please. ...(Interruptions)...

श्रीमती झरना दास बैद्य : सभापति जी... *

श्री सभापति : झरना जी, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सदन सभापति के द्वारा चलता है। ..(व्यवधान).. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम जी, बोलिए। ..(व्यवधान)..

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : सभापति जी, रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए मंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि जो रेल हेल्पलाइन नं. 182 है, उस नंबर पर एक साल में कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं और अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है? सर, मैं आपको बतलाऊँ कि मैं शिरडी से

---

* Not recorded.

Q.NO. 204 (CONTD.)

भुवनेश्वर आ रही थी, मेरा भी सामान फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से चोरी हो गया था। अभी तक..(व्यवधान).. मैंने भी शिकायत दर्ज की है..(व्यवधान).. लेकिन अभी तक..(व्यवधान)..मुझे भी नहीं मिला है। ..(व्यवधान).. मुझे भी नहीं मिला है।..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Put questions only. ...(Interruptions)... You should put question, please. You can't give a speech. यह कितना गंभीर मामला है। एम.पी. के सामान की चोरी हो रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। आप लोग ही उसे..(व्यवधान)..

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : सभापति महोदय, हम लोग फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, यदि हम लोगों का सामान चोरी हो रहा है ..(व्यवधान)..आम आदमी का क्या होगा? ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister to respond. आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान)..

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : हम लोगों का सामान चोरी हो रहा है।..(व्यवधान)..182, जो हेल्प लाइन नंबर है।..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान)..वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम : *

---

* Not recorded.

Q.NO. 204 (CONTD.)

श्री सभापति : मैं दूसरे प्रश्न के लिए जा रहा हूं। ..(व्यवधान)..दूसरा सप्लीमेंटरी, प्रो. राम गोपाल यादव। ..(व्यवधान)..सिम्पल बात है कि जो चेयर की बात नहीं सुनते हैं, उनका मौका वहीं समाप्त हो जाता है।

प्रो.राम गोपाल यादव : सभापति जी, यह बहुत गंभीर क्राइम हो रहा है। जब दिल्ली से कानपुर के बीच में ट्रेन चलती है, तो ऑर्गनाइज्ड गैंग्ज़ हैं, जो ज़हरखुरानी का काम करते हैं। वे एक तरह से दिल्ली स्टेशन पर रेकी कर लेते हैं कि नौकरी वाला कौन-सा व्यक्ति छुट्टी पर जा रहा है। जैसे आर्मी का व्यक्ति है या और कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा होता है। वे किसी न किसी तरीके से उससे घुल-मिलकर या जो अनऑथराइज्ड वेंडर्स चल रहे हैं, जिन पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, वे उनसे सामान लेकर, उसमें कुछ लगा देते हैं। वह चाहे बिस्कुट हो, या कुछ और चीज़ हो, जिसको वह व्यक्ति खा लेता और बेहोश हो जाता है। जब वह बेहोश जाता है, तो वे उसका सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही करने का - आप यह मत कहिए कि यह राज्य सरकार का मामला है, यह उत्तर प्रदेश का मामला है, दिल्ली का मामला है या यहाँ का मामला है। आपने अभी जो बहुत लाइटली जवाब दिए..(व्यवधान)..

श्री सभापति : बहुत गंभीर विषय है। ..(व्यवधान)..

प्रो. राम गोपाल यादव : यह बहुत गंभीर मामला है। आर्मी से लोग छुट्टी पर जाते हैं, उन लोगों की सारी कमाई चली जाती है, मगर ज़हरखुरानी पर रोक नहीं लग पा रही है। सबसे बड़ा दिल्ली से लेकर कानपुर..(व्यवधान)..

Q.NO. 204 (CONTD.)

श्री सभापति : रेल मंत्री जी..(व्यवधान)..समय का ध्यान ..(व्यवधान)..

श्री पीयूष गोयल : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं इसे जरा-सा भी लाइटली नहीं लेता हूं। हरेक क्राइम पर पूरी रेल व्यवस्था लगती है। स्टेट की जिम्मेदारी होने के बावजूद आरपीएफ पूरे ज़ोर से इस काम पर लगती है। आपने जो ड्रगिंग के बारे में कहा, ड्रग्स खिलाने का जो कहा है, इसकी जानकारी की जो रिपोर्ट हुई है, इसके जवाब में भी बता दिया गया है कि साल में, नॉर्दन रेलवे में 19 ऐसे ड्रगिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, नार्थ-सेंट्रल में 10 और नॉर्थ-ईस्टर्न में 23 इंसिडेंट्स हुए हैं, जो दिल्ली से कनेक्टेड हैं। साल में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं। यह तो आप भी समझते हैं कि इसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेज़र्स हो नहीं सकते हैं। हर पैसेंजर का - आजकल एक नया ट्रेंड आया है लोग टिकट खरीदकर, ऐज ए पैसेंजर ट्रेन में बोर्ड करते हैं। उसके बाद हम एक-एक यात्री की चेकिंग नहीं कर सकते हैं कि रात को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। स्वाभाविक है कि देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी कानूनी व्यवस्था भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ केसेज़ होंगे। हमारा यह लगातार प्रयास रहता है किइस प्रकार के ऑर्गनाइज्ड गैंग्ज़ की जानकारियाँ लेकर उन पर तुरंत एक्शन हो। यदि किसी माननीय सांसद के पास कोई जानकारी हो कि इस प्रकार के गैंग्ज़ कहाँ ऑपरेट होते हैं, तो कृपया हमें उससे अवश्य अवगत कराएं।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the theft on trains is an organized crime. Certain loots are bartered. There is no disclaimer on the trains to say

Q.NO. 204 (CONTD.)

that when the train enters a particular State, the Centre is not going to be responsible. It is the reputation of the Indian Railways. There are modern technologies; the police network knows exactly where the stolen goods go. Does the Minister interact with the State Governments, talk to them, incentivize crime-free routes and ensure that railway stations have a quick response system to the crimes committed?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, a very good point is raised by the hon. Member. While, of course, there is a continuous interaction, GRP is the State police. Having said that, what we are now planning to do is to set up nearly two million CCTV cameras which will cover passenger trains, all railway stations, all railway offices, colonies; we are trying to bring the entire rail network into a CCTV surveillance network. The feed of that will be given to the local police station. ...(Interruptions)... (Followed by KLS/2A)

KLS/2A-1.00

SHRI PIYUSH GOYAL (CONTD): On trains we are planning CCTV cameras stream which will go to guard and... ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over and the train has already moved.

(Ends)